

फर्द अहकाम



न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

करणी सिंह

बनाम

अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ व अन्य

केस संख्या : 609 / 2025 (मुत्तकिल प्रार्थना पत्र)

दिनांक आज्ञा का कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
15.09.2025	<p>दरखास्तगुजार ने अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ, जिला जयपुर के समक्ष विचारहीन वाद संख्या 37/2021 ब-उनवानी रामधन सैनी बनाम करणी सिंह व अन्य से सम्बन्धित पत्रावली को पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में मुत्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है। अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ, जिला जयपुर से बिन्दुवार टिप्पणी तलब हो। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। नोटिस विपक्षीगण के रजिस्टर्ड जारी हो। पत्रावली दिनांक 29.09.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> जिला कलक्टर जयपुर</p> <p>29/9/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थितगण वकील प्रार्थितों अवगत कराया कि - आरेरेक्त जिला कलक्टर चतुर्थ हैं पीठासीन अधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार जैन RAS का अन्य दरखाना मन्तव्य ही चुका है, अतः प्रस्तुत मुत्तकिल प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रभाव शून्य (INFRACTUOUS) हो चुका है, अतः प्रार्थितों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वारेज ठिमा जाता है। पत्रावली फाइल शुमार होकर दर्ज नम्बर से हम</p> <p style="text-align: right;"> जिला कलक्टर जयपुर</p>	